भार्गव, श्री गोपाल

भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन क्षेत्र- रहली (39)

पिता का नाम-	श्री शंकरलाल भार्गव
जन्म तिथि-	01 जुलाई,1952
जन्म स्थान-	गढ़ाकोटा, जिला-सागर
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पत्नी-	श्रीमती रेखा भार्गव
संतान-	1 पुत्र, 3 पुत्रियाँ
शैक्षणिक योग्यता-	बी.एस-सी., एम.ए., एल-एल.बी
व्यवसाय-	कृषि एवं सिनेमा व्यवसाय
अभिरुचि-	ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण, साधनहीन वर्ग की सेवा
स्थायी पता-	मकान नं. 24, भगत सिंह वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला-सागर (म.प्र.) दूरभाष-(07585) 258401, 258277 मोबाइल-9425171242 फ़ैक्स-(07585) 258401 ई-मेल-gopal.bhargava@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	बी-1, (74 बंगले) स्वामी दयानंद नगर, भोपाल (म.प्र.) दूरभाष-(0755) 2661271, 2441156

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

विद्यार्थी जीवन से छात्र राजनीति में सक्रिय. 1970-73 में सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ में विभिन्न पदों पर रहे. 1980-82 में नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा के अध्यक्ष. छात्रों, बीड़ी मजदूरों एवं किसानों के अनेक आंदोलनों में भाग लिया तथा जेल यात्राएं. 1985 में आठवीं, 1990 में नौवीं, 1993 में दसवीं एवं 1998 में ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. विधान सभा की लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, प्राक्कलन समिति के सदस्य तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति रहे. भा.ज.पा. जिला सागर के अध्यक्ष रहे. सन् 2003 में बारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित एवं मंत्री कृषि, राजस्व, सहकारिता, धार्मिक न्यास व धर्मस्व, पुनर्वास, खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता रहे. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड), मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (सीड कार्पोरेशन), मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के अध्यक्ष. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष. प्राधिकृत अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ. 2008 में तेरहवीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित एवं मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग रहे.

सन् 2013 में सातवीं बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.

सम्प्रति: मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग.